# *छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*

*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*शिकायत प्रकरण कमांक 556/2007*

1. **श्री गणेश कुमार चोपड़ा,** — *शिकायतकर्ता*
**रावण भाटा, नगरी,**
**तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)**

**विरूद्ध**

1. ***जन सूचना अधिकारी/सरपंच,*** — *अनावेदक*
**ग्राम पंचायत- नगरी,**
**तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)**

*//आदेश//*

*(दिनांक 14 फरवरी, 2008)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री गणेश कुमार चोपड़ा द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, नगरी के समक्ष दिनांक 31.05.2006 को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सचिव/सरपंच को अंकित किया गया, किन्तु उन्हें जानकारी नही दिये जाने पर उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के यहाँ शिकायत प्रस्तुत की, किन्तु उनके द्वारा भी जानकारी प्रदाय नही की गई, जिससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 27.07.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी से प्रतिवेदन बुलाया गया, प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह बताया गया है कि सरपंच द्वारा लापरवाहीपूर्वक एवं स्वेच्छाचारिता अपनाते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही कराई तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने इस संबंध में जानकारी दिवालने हेतु अपने कर्तव्य का पालन नही किया । प्रकरण में दिनांक 27.09.2007 को सरपंच/जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत, नगरी को अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत 15 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर पूर्व सरपंच श्री बंशीलाल श्रीमाली ने दिनांक 29.11.2007 को प्रस्तुत किया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने प्रथम अपील का निराकरण नही करने के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में यह बताया है कि श्री गणेश कुमार चोपडा ने प्रथम अपील प्रस्तुत नही की थी, बल्कि उनके पिता श्री छगनलाल चोपडा द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद सचिव, ग्राम पंचायत को जानकारी प्रदाय करने के लिए निर्देश दिये गये और उनके द्वारा दिनांक

19.07.2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है और दिनांक 15.09.2006 को त्रुटिपूर्ण शिकायत की जानकारी होने पर सचिव/सरपंच से स्पष्टीकरण चाहा गया, जिसके पालन में दिनांक 27.10.2006 को स्पष्टीकरण दिया गया । इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का यह कहना सही है कि जिसने आवेदन दिया था उसको अपील करना चाहिए था, अत: श्री छगनलाल के नाम पर उनके द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया और सरपंच को कार्यवाही के लिए लिखा गया, अत: इस संबंध में उनका कोई दोष प्रतीत नही होता है । सरपंच ने अपने उत्तर में यह लिखा है कि नगर के बेरोजगारों को रोजगार मिलने के उद्देश्य से ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है और पूर्व के सरपंच के द्वारा भी उसी तरह का ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है जैसा कि उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है । सचिव ने अपने उत्तर में यह बताया है कि दिनांक 06.12.2006 को जानकारी दी गई है और रिकार्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.07.2006 को आवेदक के पिता श्री छगनलाल को जानकारी भी दी गई है, किन्तु शिकायतकर्ता जानकारी को त्रुटिपूर्ण बता रहे हैं । अत: इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तावों की प्रति चाही है जबकि सचिव ने अपनी जानकारी दिनांक 06.12.2007 में श्री गणेश कुमार चोपडा को अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत द्वारा राईस मिल संबंधी किसी प्रकार का प्रस्ताव नही किया गया है । प्रस्तुत अभिलेख से प्रतीत होता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नही हुआ है और केवल सादे कागज पर पंच एवं सरपंच के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है और इस संबंध में उनके द्वारा जानकारी दे दी गई है । पूर्व सरपंच श्री बंशी श्रीमाली अब सरपंच पद से हट गये हैं और प्रकरण में किसी प्रकार के विलंब और त्रुटिपूर्ण जानकारी की बात सिद्ध नही होती है, अत: उन्हें जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु इस प्रकरण में न्यायहित में यह निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इस संबंध में सरपंच से समस्त रिकार्ड बुलवाकर अपने समक्ष शिकायतकर्ता को उस रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण करावे और उसमें से जो भी संबंधित रिकार्ड की प्रति चाहे, वह उन्हें सचिव, ग्राम पंचायत, नगरी से नि:शुल्क प्रदान कराया जावे ।

3/ अभिलेख से स्पष्ट है कि श्री चोपडा के आवेदन जो कि दिनांक 31.05.2006 को सचिव/सरपंच को तत्काल जानकारी देने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मार्क किया था, में जानकारी दिनांक 06.12.2007 को दी गई, जानकारी देने में विलंब हुआ है । सचिव ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि सूचना के अधिकार के तहत् पंचायत में चार आवेदन आये थे, जिसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारियों में भ्रमित होने के कारण जानकारी देने में विलंब हुआ है, जानकारी देने में जानबूझकर गलती नही की गई, इस कारण से सचिव को जारी किया गया शास्ति का कारण बताओ नोटिस भी निरस्त किया जाता है । ग्राम पंचायत द्वारा शिकायतकर्ता श्री चोपडा को जानकारी देने में विलंब किया गया है, अत: अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के तहत् मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए पंचायत की तरफ से रूपये 500/- की क्षतिपूर्ति की राशि शिकायतकर्ता को प्रदान की जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

4/ शिकायतकर्ता इस संबंध में अन्य जो भी उपयुक्त फोरम में आवेदन देकर यदि किसी अधिकारी अथवा पंचायत द्वारा गलत कार्यवाही की गई है तो उसके संबंध में शिकायत करके अपना निराकरण करवा सकते हैं । जहॉं तक सूचना का प्रश्न है रिकार्ड के अनुसार उन्हें सूचना दी जा चुकी है ।

5/ अत: उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त